कृषि विज्ञान केन्द्र दिल्ली
(राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान)
नेफेड कॉम्प्लेक्स, गांव और पोस्ट: उजवा, नई दिल्ली - 73
Ph. No. 9667971155, e-mail: kvkujwa@yahoo.com
Website: www.kvkdelhi.org

कोविड–19 के कारण लॉकडाउन (बन्दी) अवधि के दौरान किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार नंबर (2440–3/2020–डीएम–आई (ए) दिनांक 24, 25 और 27 मार्च, 2020). निम्नलिखित कृषि और संबद्ध गतिविधियो ं को लॉकडाउन (बन्दी) की अवधि के दौरान छूट दी गयी है:

- पशु चिकित्सा अस्पताल।
- न्यूनत्तम समर्थन मूल्य (MSP) परिचालनों सहित कृषि उत्पादों की खरीद हेतु उत्तरदायी समस्त अभिकरण।
- जिन मंडियो ं का संचालन कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का कार्य।
- फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC)
- उर्वरक, कीटनाशक और बीज के विकास और पैकेजिंग में कार्यरत इकाईयाँ।
- कम्बाइन हार्वेस्टर और कृषि/बागवानी उपकरणों की कटाई और बुवाई संबंधित मशीनों की अंतर–राज्य आवाजाही।

इन छूटों से कृषि और खेती से संबंधित गतिविधियों को बिना किसी असुविधा के सुनिश्चित किया जा सकेगा ताकि आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और किसानों को लॉकडाउन (बन्दी) के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन (बन्दी) के दौरान कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

भारत सरकार के नीति–निर्देशों के आधार पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी कर दिये गये है।

किसान भाईयों के लिए सलाह

कृषि विज्ञान केन्द्र दिल्ली के द्वारा फसलों की कटाई एवं मड़ाई से संबंधित

01. देश में कोविड–19 वाइरस के फैलने के खतरे के साथ रबी फसलें भी तेजी से पकने की ओर अग्रसर है।

02. इन फसलों की कटाई एवं उनके बाजार तक पहुँचाने का काम वांछनीय है क्योंकि कृषि कार्य में समय की बाध्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः किसानों को सावधानी एवं सुरक्षा का पालन करना बहुत ही जरूरी है ताकि इससे महामारी का फैलाव ना हो सके।

03. ऐसी स्थिति में साधारण एवं सरल उपाय जैसे सामाजिक दूरी का निर्वाहण, साबुन से हाथों को साफ करते रहना, चेहरे पर मास्क लगाना, सुरक्षा हेतु कपड़े पहनना एवं कृषि संयंत्रों एवं उपकरणो की सफाई करना अत्यंत आवश्यक है।

04. किसानो को खेती के प्रत्येक कार्यो के दौरान एक दूसरे से सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए काम करना आवश्यक है।

निम्नलिखित सलाह किसानों के लिए अति–उपयोगी है:–

- जहॉ तक संभव हो परिचित व्यक्ति को ही खेतो के कार्य में लगाऍ। किसी अनजान श्रमिक को खेत में कार्य से रोकें ताकि वे इस महामारी का कारण न बन सके।

- दिल्ली क्षेत्र में गेहूं पकने की स्थिति में आ रही है। अतः इनकी कटाई के लिए कम्बाइन कटाई मशीन का उपयोग एवं प्रदेशों के अन्दर तथा दो प्रदेशों के बीच इनका आवागमन भारत सरकार के द्वारा आदेश प्रदान किया गया है। हालॉकि इस दौरान मशीनों के रखरखाव एवं फसल कटाई में लगे श्रमिकों की सावधानी एवं सुरक्षा सुनिशिचित करना आवश्यक है।
- ऐसी स्थिति में समस्त किसानों एवं कृषि श्रमिकों, जो फसलों की कटाई, फल एवं सब्जियों की तुड़ाई, अंडों और मछलियों के उत्पादन में लगे है, उनके द्वारा इन कार्यों के क्रियान्वयन के पहले, कार्यो के दौरान एवं कार्यो के उपरांत व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है।
- फसलों की हाथ से कटाई/तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4–5 फीट की पटिटयों में काम को किया जाए तथा एक पटटी की दूरी में एक ही श्रमिक को कार्यरत रखा जाए। इस प्रकार कार्यरत श्रमिकों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित की जा सकेगी।

- कार्यरत सभी व्यक्तियों/श्रमिकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मास्क पहनकर ही काम करें तथा बीच–बीच में साबुन से हाथ धोते रहें।
- जहाँ तक संभव हो कृषि कार्य उपकरणों व मशीनों से ही किया जाए न कि हाथों से तथा केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही ऐसे संचंत्रों को चलाने दिया जाए।
- कृषि कार्यों में लगे संयंत्रों को कार्यों के पूर्व तथा कार्यों के दौरान साफ (sanitize) किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बोरी तथा अन्य पैकेजिंग सामग्रियों को भी साफ (sanitize) किया जाना चाहिए।
- खलिहानों में तैयार उत्पादों को छोटे–छोटे ढेरों में इकटठा करें जिनकी आपस में 3–4 फीट (1 मीटर) हो। साथ ही प्रत्येक ढेर पर 1–2 व्यक्ति को ही कार्य पर लगायें चाहिए तथा भीड़ इकटठा करने से बचना चाहिए।
- कटाई की गयी एवं मड़ाई हेतु लगाई गई मशीनों की उचित साफ–सफाई एवं स्वच्छता (sanitize) सुनिश्चित करें । खासकर यदि इन मशीनों को अन्य किसानों या कृषक समूहो द्वारा उपयोग किया जाना है। इन मशीनों के पार्टस (पुर्जो) को बार–बार छूने पर साबुन से हाथ धोना चाहिए।

2. कृषि उत्पादों का कटाई उपरान्त भंडारण तथा विपणन

- प्रक्षत्रो पर कुछ खास कार्यो जैसे मड़ाई, सफाई, सुखाई, छंटाई, ग्रेडिंग, तथा पैकेजिंग के दौरान किसानों/श्रमिकों को चेहरे पर मास्क अवश्य लगाना चाहिए ताकि वायु–कण एवं धूल–कण से बचा जा सके और श्वास संबंधित तकलीफों से दूर रहा जा सके।
- तैयार अनाजों, मोटे अनाजों तथा दालों को भंडारण के पूर्व पर्याप्त सुखा ले तथा पुराने जूट के बोरों को भडारण हेतु प्रयोग ना करें। नए बोरियों को नीम के 5 प्रतिशत घोल में उपचारित कर तथा सूखा कर ही अनाजों के भंडारण हेतु प्रयोग करें।
- शीत भंडारों, सरकारी गोदामों तथा अन्य गोदामों द्वारा आपूर्ति की गई जूट की बोरियों का उपयोग अनाज भंडारण हेतु काफी सतर्कता पूर्वक करें।
- अपने उत्पादों को बाजार–यार्ड अथवा निलामी स्थल तक ले जाने के दौरान ढुलाई के वक्त किसान अपनी निजी सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखें।
- बीज उत्पादक किसानों को अपने बीजों को लेकर बीज कंपनियों तक टॉसपोर्ट (यातायात) करने की इजाजत है बशर्ते उन किसानों के पास संबंधित दस्तावेज हो तथा भुगतान के वक्त समुचित सावधानी बरतें।
- इनके अतिरिक्त, किसानों के द्वारा उनके प्रक्षेत्रों पर तैयार टमाटर, फूलगोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा तथा अन्य लौकीवर्गीय सब्जियों के बीज के सीधे विपणन में किसानों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

3. प्रक्षेत्रों पर खड़ी फसलों से संबंधित सावधानियॉ

- जैसा कि ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार अधिकांश गेहूं उत्पादक प्रांतों में औसत तापमान विगत अनेक वर्षो के औसत तापमान से कम है, अतः गेहूँ की कटाई कम–से–कम एक सप्ताह आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसी दशा में किसान यदि 15 अप्रैल तक भी गेहूं की कटाई करें तो उन्हें कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार गेहूँ की खरीदारी राज्य सरकारों व अन्य ऐजेंसियों द्वारा करना आसान होगा।
- चना/सरसों/आलु/गन्ना/गेहूँ के बाद खाली खेतों में जहॉ ग्रीष्मकालीन मूंग जल्दी पकाव वाली प्रजातियों (पूसा विशाल एवं एम एच– 421) को चयनित करें!
- उद्यानिकी फसलें, खासकर, आम पर इस समय फल बनने की अवस्था है। आम के बागों में पोषक तत्वों के छिड़काव तथा फसल सुरक्षा के उपायों के दौरान रसायनिक निवेशों का समुचित हैंडलिंग, उनका समिश्रण, उपयोग तथा संबंधित संयंत्रों की सफाई अत्यंत आवश्यक है।
- ग्रीष्म क्षेत्र के मूंग, उरद में उचित नमी रखने के लिए 8-10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें।

अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, दिल्ली मोबाइल पर संपर्क करें

डॉ. समर पाल सिंह, विशेषज्ञ (सस्य विज्ञान) - 8887869369

श्री. कैलाश, विशेषज्ञ (कृषि विस्तार) - 8619296181

डॉ. पी. के. गुप्ता, अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केंद्र, दिल्ली

मोबाइल नम्बर: 08888867619